



प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा

प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का प्रलक्षित कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **“जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है”** के आधार पर निम्नलिखित देनदारों, प्रत्याभूति-दाता तथा जमानतदारों से प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे निर्दिष्ट तिथि को बेचे जाने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

सरफेसी एक्ट नियम 8(6) अंतर्गत विक्रय हेतु 15 दिवसीय वैधानिक सूचना :: ई-नीलामी तिथि – 10 मार्च 2021					
क्र	संबंधित शाखा	ऋण खाता/ ऋणी/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार	बकाया राशि	अचल संपत्ति / संपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य
					अधिम धरोहर जमा राशि
					बिड वृद्धि राशि
1	गोकलपुर	श्री भगवान दास वर्मा पुत्र स्व. श्री जागेश्वर प्रसाद वर्मा ; श्रीमति शकुंतला वर्मा पति श्री भगवान दास वर्मा	₹ 35,08,829 + ब्याज + विधिक व्यय	साम्य बंधन भूमि/ भवन: मौजा पोलीपाथर नं.ब. 164 प.ह.नं. 24/2 रा.नि.म. जबलपुर-1 में स्थित डाइवर्टेड खसरा नं 68/5,68/7,68/8 के भाग पर निर्मित कुल रकबा 15 बाई 50 याने 750 वर्गफुट, प्लॉट क्र 150, जयभीम नगर अनु. जनजाति गृह निर्माण सहकारी समिति, ग्वारीघाट वार्ड, तह व जिला जबलपुर (म.प्र.) क्षेत्रफल: कुल प्लॉट एरिया 750 वर्गफुट	₹ 16,50,000
					₹ 1,65,000
					₹ 20,000
2	एमपीएचबी (MPHB)	श्री राजेंद्र सिंह ठाकुर पिता श्री आर एस ठाकुर	₹ 18,23,233 + ₹ 25,16,840 + ब्याज + विधिक व्यय	साम्य बंधन भूमि/भवन: नजूल ब्लॉक नं 8, प्लॉट नं. 73, में का भाग डॉ राजेंद्र प्रसाद वार्ड नटबाबा की गली, दीछितपुरा ब्लॉक चेरीताल जबलपुर स्थित रेच प्लॉट एरिया 1315 वर्गफुट जिसमे आर.सी.सी दो मंजिला मकान ग्राउन्ड फ्लोर निर्मित 1000 वर्गफुट एवम प्रथम तल निर्मित एरिया 1000 वर्गफुट निर्मित है, जो आर.सी.सी स्लेप वाला बना हुआ है। जिसका मकान नंबर 1418 है।	₹ 29,13,000
					₹ 2,91,300
					₹ 20,000
3	एमपीएचबी (MPHB)	श्री आनंद दुबे पुत्र श्री अशोक कुमार दुबे	₹ 36,11,351+ ब्याज + विधिक व्यय	साम्य बंधन भूमि/ भवन: मौजा करमेता, एनबी नं 497, प.ह.नं 26/23, नया 78 खसरा नं पुराना 453 का भाग, नया डायवर्टेड खसरा नं 453/33, रकबा 1020 वर्गफुट प्लॉट एवं उस पर निर्मित आवासीय मकान।	₹ 24,92,000
					₹ 2,49,200
					₹ 20,000
सरफेसी एक्ट नियम 8(6) अंतर्गत विक्रय हेतु 30 दिवसीय वैधानिक सूचना :: ई-नीलामी तिथि – 26 मार्च 2021					
4	गोकलपुर	श्री राम डेयरी फार्म श्री रामकृष्ण उरमतिया पिता श्री द्वाका प्रसाद	₹ 2,67,89,479/- + ब्याज + विधिक व्यय	साम्य बंधन भूमि एवं भवन: मौजा खैरी, न.बं. 570, प.ह.नं: 17, खसरा नं. 113/1 (पुराना)- 17/2 (नया), रा.नि.म. महाराजपुर, तहसील व जिला जबलपुर डायवर्टेड क्षेत्रफल 27964 वर्गफुट	₹ 1,95,00,000
					₹ 19,50,000
					₹ 50,000
5	गोकलपुर	अरविंद कुमार बांधवे पिता श्री कोदुलाल बांधवे; श्री कोदुलाल बांधवे पिता स्व. श्री गेंदलाल बांधवे	₹ 10,74,090/- + ब्याज + विधिक व्यय	साम्य बंधन भूमि एवं भवन: मौजा राँड़ी, नं.बं. 403, प.ह.नं. 22- नया 2, रा.नि.मं. जबलपुर-1 प्लॉट नं. 19 डायवर्शन खसरा क्र 62/1 का भाग, प्लॉट क्र 19, डॉ. अम्बेडकर वार्ड क्र 46, तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.) प्लॉट रकबा 20X50=1000 वर्गफुट एवं उस पर निर्मित भवन	₹ 17,50,000
					₹ 1,75,000
					₹ 20,000
6	जीसीएफ	श्री शंकर सिंह ठाकुर पिता श्री लालजी सिंह ठाकुर; श्रीमति शिवांगी राजपूत पति श्री शंकर सिंह ठाकुर	₹ 10,14,058/- + ब्याज + विधिक व्यय	साम्य बंधन भूमि एवं भवन: मौजा ग्राम गुरदा, न.बं. 600, प.ह.नं 24, रा.नि.मं. महाराजपुर, विकास खंड पनागर, नया वार्ड क्र. 74, भूमि डायवर्टेड खसरा नं. 64 एवं खसरा 64/1 का भाग मे से विक्रय रकबा 25X50=1250 वर्गफुट, तहसील पनागर, जिला जबलपुर (म.प्र.)	₹ 15,00,000
					₹ 1,50,000
					₹ 20,000
7	एमपीएचबी (MPHB)	1) श्री श्रीकृष्ण तिवारी पुत्र श्री राम सनेही तिवारी 2) श्रीमति ममता तिवारी पत्नी श्री श्रीकृष्ण तिवारी 3) श्री अरविंद मोहन तिवारी पुत्र श्री श्रीकृष्ण तिवारी 4) श्री आलोक मोहन तिवारी पुत्र श्री श्रीकृष्ण तिवारी गारंटीदाता- 1) श्री राजकुमार केशरवानी पुत्र श्री रामकुमार केशरवानी; 2) श्री संजीव कुमार केशरवानी पुत्र श्री रामकुमार केशरवानी; 3) श्री संजय कुमार केशरवानी पुत्र श्री रामकुमार केशरवानी	₹ 24,07,740 + ब्याज + विधिक व्यय	साम्य बंधन भूमि एवं भवन: ब्लॉक नं. 55, प्लॉट नं. 3/5 (पुराना 3/8) पूर्वी निवाइगंज, महात्मा गांधी वार्ड, तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.) कुल रकबा 358.69 वर्गमीटर	₹ 60,20,000
					₹ 6,02,000
					₹ 20,000

8	एमपीएचबी (MPHB)	सोमनाथ फूड इंडस्ट्रीज प्रोप - श्रीमति गायत्री मूरजानी पत्नी श्री मोहनीश मूरजानी	रु 71,08,101 + रु 20,66,683 + ब्याज + विधिक व्यय	साम्य बंधक भूमि एवं भवन: लीज डीड प्लॉट नं. 21, फूड पार्क मनेरी, जिला मंडला (म.प्र) कुल रकबा 1650 वर्गमीटर	रु 52,72,000
					रु 5,27,200
					रु 20,000
9	एमपीएचबी (MPHB)	मे. सन्मति प्लास्टिक इंडस्ट्रीज: पार्टनर- 1) श्री शैलेश जैन पिता श्री सुनील जैन 2) श्री शुभम जैन पिता श्री अमरेश जैन 3) श्री सचिन जैन पिता श्री अशोक जैन 4) श्री सौरभ जैन पिता श्री सुनील जैन	रु 50,30,391/- + ब्याज + विधिक व्यय	साम्यबंधक भूमि एवं भवन: प्लॉट नं. 28, सेक्टर-बी-2, मौजा उमरिया डूंगरीया, तहसील शहपुरा, जिला जबलपुर क्षेत्रफल प्लॉट एरिया 13450 वर्गफुट डायवर्टेड एवं निर्मित भवन एवं शेड	रु 22,76,000
					रु 2,27,600
					रु 20,000
10	एमपीएचबी (MPHB)	मे. गोल्डन एग्रीवेंचर : पार्टनर: श्री सिद्धार्थ सिंह कहार एवं श्री राहुल सरावगी	रु 1,57,71,255/- + ब्याज + विधिक व्यय	(क) साम्य बंधक भूमि एवं भवन: ग्राम बरखेड़ा, तहसील पनागर, जिला जबलपुर, प.ह.नं 10/26, एनएच 7 से लगभग 1 किमी अंदर खसरा नं 721 का भाग, कुल रकबा 0.200 हेक्टेयर (डायवर्टेड भूमि क्षेत्रफल 21500 वर्गफुट) पूर्ण डायवर्टेड भूमि एवं भूमि पर निर्मित शेड एवं अन्य निर्माण (ख) जंगम संपत्ति (Machinery): रेफ्रीजरेशन सिस्टम, कूलिंग पेनल्स एवं अन्य मशीनरी	रु 45,70,000
					रु 4,57,000
					रु 20,000
11	एमपीएचबी (MPHB)	वेद मशरूम ; प्रोप. श्रीमति सरोज बर्मन पत्नी श्री धर्मेंद्र बर्मन	रु 1,47,31,829/- + ब्याज + विधिक व्यय	(क) साम्य बंधक भूमि एवं भवन: मौजा बरखेड़ा, तहसील पनागर, प.ह.नं 10/26, एनएच 7 से लगभग 1 किमी अंदर खसरा नं 721/1 का भाग, कुल रकबा 0.420 हेक्टेयर (डायवर्टेड भूमि क्षेत्रफल 22500 वर्गफुट) पूर्ण डायवर्टेड भूमि एवं भूमि पर निर्मित शेड एवं अन्य निर्माण (ख) जंगम संपत्ति (Machinery): रेफ्रीजरेशन सिस्टम, कूलिंग पेनल्स एवं अन्य मशीनरी	रु 56,30,000
					रु 5,63,000
					रु 20,000
12	एमपीएचबी (MPHB)	मे. पी.एस. उद्योग पार्टनर- श्री सतीश सुगानी पुत्र श्री प्रेमचंद सुगानी एवं श्रीमति माया सुगानी पत्नी श्री दिलीप सुगानी	रु 80,03,623 + ब्याज + विधिक व्यय	(क) साम्य बंधक भूमि एवं भवन: प्लॉट नं. 101, सेक्टर-ई-4, इंडस्ट्रियल एरिया, मनेरी, जिला मंडला (म.प्र) कुल रकबा 1000 वर्गमीटर एवं उस पर निर्मित राइस मिल प्लांट शेड (ख) जंगम संपत्ति (Machinery) – मशीनरी	रु 41,21,000
					रु 4,12,100
					रु 20,000
13	एमपीएचबी (MPHB)	मे. पी.एस. इंडस्ट्रीज पार्टनर- श्री दिलीप सुगानी पुत्र श्री प्रेमचंद सुगानी एवं श्रीमति कविता सुगानी पत्नी श्री सतीश सुगानी	रु 79,54,731 + ब्याज + विधिक व्यय	साम्य बंधक भूमि एवं भवन: प्लॉट नं. 100, सेक्टर-ई-4, इंडस्ट्रियल एरिया, मनेरी, जिला मंडला (म.प्र) कुल रकबा 1000 वर्गमीटर एवं उस पर निर्मित राइस मिल प्लांट शेड (ख) जंगम संपत्ति (Machinery) – मशीनरी	रु 38,48,000
					रु 3,84,800
					रु 20,000

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्योरे के लिए कृपया नीचे दिये गए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात www.centralbankofindia.co.in देखें या बैंक अनुबंधित सेवा प्रदाता मे. एमएसटीसी लिमिटेड के वेबपोर्टल <http://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> पर उपलब्ध लिंक देखें। हेल्पलाइन नंबर 033-22901004 या क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर से संपर्क कर सकते हैं।

दिनांक: 21.02.2021 स्थान: जबलपुर (म.प्र)

कृते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय: II तल, साउथ एवेन्यू मॉल के सामने, पोलिपाथर, ग्वारीघाट रोड, जबलपुर (म.प्र) - 482008 ☎ 0761-2662694 /95; 8226014333 ✉ recvjabaro@centralbank.co.in

क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर (म.प्र)

॥ तल, साउथ एवेन्यू मॉल के सामने, पोलिपाथर, ग्वारीघाट रोड, जबलपुर (म.प्र) - 482008 ☎ 0761-2662694 /95; +91-8226014333 ✉ recvjabaro@centralbank.co.in

**चल/ अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस ई-नीलामी दि. 10 मार्च 2021 व दि. 25 मार्च 2021:
विस्तृत नियम एवं शर्तें**

संपत्ति क्रम	ई-नीलामी तिथि एवं समय	ईएमडी (अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) प्राप्त हेतु अंतिम तिथि एवं समय
संपत्ति क्र. 1 से क्र. 3 तक	10.03.2021 समय: दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक	09.03.2021 साँय 4.00 बजे तक
संपत्ति क्र. 4 से क्र. 13 तक	25.03.2021 समय: दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक	24.03.2021 साँय 4.00 बजे तक

नियम एवं शर्तें

- ई-नीलामी “जहाँ है जैसी है” तथा “बिना किसी शिकायत” के आधार पर तथा सरफेसी अधिनियम तथा उसके नियमों के अधीन की जाएगी।
- नीलामी बोली/ बिड ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया तहत वेबसाइट <http://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> के माध्यम से निविदाकर्ताओं के मध्य परस्पर बोली के अनुसार – संपत्ति क्र. 1 से क्र. 3 तक, दिनांक 10.03.2021 को (समय: दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक) 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार सहित आयोजित की जाएगी, एवं संपत्ति क्र. 4 से क्र 13 तक, दिनांक 25.03.2021 को (समय: दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक) 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार सहित आयोजित की जाएगी। निविदाकर्ता अपनी बोली, बिड वृद्धि राशि केवल उपरोक्त तालिका में “बिड बोली वृद्धि राशि” के गुणन में वृद्धि कर सकता है।
- संपत्ति क्र 10, 11, 12, 13 का विक्रय मशीनरी के साथ किया जाएगा। आरक्षित मूल्य में मशीनरी का मूल्य सम्मिलित है।
- विस्तृत विवरण को डाउनलोड करने, प्रक्रिया का अनुपालन और नियम एवं शर्तों के लिए कृपया पोर्टल अ) <http://www.centralbankofindia.co.in> पर आएं ब) ई-नीलामी के लिए हमारे सेवा प्रदाता का वेबसाइट पता <http://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> है।
- निविदाकर्ता <http://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> पर विजिट कर सकते हैं जहां निविदाकर्ता के लिए दिशा-निर्देश, शैक्षणिक वीडियो के साथ उपलब्ध हैं।
निविदाकर्ताओं को निम्नलिखित औपचारिकताओं को पहले ही पूरा करना होगा:
प्रथम चरण : निविदाकर्ता/खरीददार का पंजीकरण : निविदाकर्ता को ई-नीलामी प्लेटफार्म (ऊपर दिए गए लिंक) पर अपने मोबाइल नं. व ई-मेल पते के साथ पंजीकरण करना है।
द्वितीय चरण: केवाईसी जांच के लिए निविदाकर्ता को निर्धारित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करना है। केवाईसी दस्तावेजों की जांच. ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा की जाएगी (जिसमें 2 कार्य दिवसों का समय लग सकता है)।
तृतीय चरण : निविदाकर्ता की ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) धनराशि को ग्लोबल ईमडी वॉलेट में अंतरित करना – ई-नीलामी प्लेटफार्म पर आन लाइन/आफ लाइन फण्ड का अंतरण एनइएफटी (NEFT)/ चलान आधारित अंतरण किया जाता है।
चतुर्थ चरण : बोली लगाने की प्रक्रिया और नीलामी परिणाम : इच्छुक पंजीकृत निविदाकर्ता प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरणों को पूरा करने के पश्चात ई-नीलामी हेतु बोली लगा सकते हैं।
कृपया नोट करें कि इच्छुक निविदाकर्ता को प्रथम चरण से तृतीय चरण की प्रक्रिया तक, नीलामी तिथि से पहले अग्रिम रूप से पूरा करना है।
- ई-नीलामी प्लेटफार्म (<http://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp>) पर ई-नीलामी सेवाएं हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता- एमएसटीसी लि. द्वारा प्रदान की जाती हैं जिसका पंजीकृत कार्यालय 225-सी,ए.जी.सी. बोस रोड, कोलकाता- 700020 में है. इच्छुक निविदाकर्ताओं/खरीददारों को ई-नीलामी प्रक्रियाओं हेतु ई-नीलामी सेवा प्रदाता के वेबसाइट <http://www.mstcecommerce.com> पर सहभागिता की जरूरत है। ई-नीलामी पोर्टल पर सेवा प्रदाता कम्पनी ई-नीलामी के लिए आन-लाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। विक्रय के सामान्य नियम एवं शर्तें बैंक की वेबसाइट <http://www.centralbankofindia.co.in>, <http://ibapi.in> और <http://www.mstcecommerce.com> पर उपलब्ध हैं। ई-नीलामी के परिचालन के लिए सहायता मैनुअल इस ई-नीलामी का e-ब्रय आईबीएपीआई के पोर्टल (<http://www.ibapi.in>) पर उपलब्ध है। ई-नीलामी के इच्छुक प्रतिभागी विक्रय नोटिस, ई नीलामी के नियम एवं शर्तें, विक्रय नोटिस की प्रतियां, ई-नीलामी का सहायता मैनुअल, मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। इच्छुक निविदाकर्ता, जिन्हें आन-लाइन

आई डी और पासवर्ड सृजित करने, डाटा अद्यतन करने, बोली प्रस्तुत करने और ई-नीलामी प्रक्रिया के प्रशिक्षण में सहायता की आवश्यकता है, वे वेबसाइट www.mstcecommerce.com पर उनके केंद्रीय हेल्प डेस्क नं. 033-22901004 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

5. इच्छुक निविदाकर्ता/खरीददार को नीलामी समय से पहले अपनी ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) अग्रिम रूप से ग्लोबल ईएमडी वालेट में अंतरित करना है। अगर ईएमडी धनराशि, ईएमडी वालेट में उपलब्ध नहीं है तो सिस्टम निविदा की अनुमति नहीं देगा। पंजीकरण, केवाईसी दस्तावेजों की जांच और ईएमडी का वालेट में अंतरण अग्रिम रूप से नीलामी से पूर्व (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि से पूर्व) पूरा होना चाहिए। निविदाकर्ता या तो एक या सभी सम्पत्तियों का प्रस्ताव दे सकते हैं। ई-नीलामी की तिथि पर वालेट में पर्याप्त ईएमडी होने पर ही इच्छुक निविदाकर्ता पात्र होंगे। बोली लगाने के समय, निविदाकर्ता की वालेट में पर्याप्त ईएमडी होनी चाहिए (>=ईएमडी)। अगर निविदाकर्ता एक से अधिक सम्पत्तियों के लिए प्रस्ताव देते हैं तो उन्हें प्रत्येक सम्पत्ति के लिए अलग-अलग ईएमडी जमा करना होगा।
6. ऊपर बताई गई अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि (ईएमडी) का भुगतान आन-लाइन अर्थात नेफ्ट (NEFT) /अंतरण (चालान फार्म तैयार करने के पश्चात (<http://www.mstcecommerce.com>) निविदाकर्ता के ग्लोबल ईएमडी वालेट में किया जाएगा। नेफ्ट अंतरण किसी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक से किया जा सकता है। ईएमडी का भुगतान अन्य किसी तरीके जैसे चेक/मांग ड्राफ्ट से स्वीकार नहीं किया जाएगा। इच्छुक निविदाकर्ता जो अपनी ईएमडी वालेट में मांगी गई, ईएमडी जमा नहीं कर रहे हैं, उन्हें ई-नीलामी प्रक्रिया में बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी। अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि (ईएमडी) पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा और असफल निविदाकर्ताओं को बिना ब्याज के ईएमडी वापस की जाएगी।
7. ईएमडी (अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) प्राप्त हेतु अंतिम तिथि एवं समय: संपत्ति क्र. 1 से क्र. 3 तक, के लिए दिनांक 09.03.2021 साँय 4.00 बजे तक, व संपत्ति क्र. 4 से क्र. 13 तक, के लिए दिनांक 24.03.2021, साँय 4.00 बजे तक।
8. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम पर सम्पत्ति नहीं बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य से नीचे उद्धत की गई बोली अस्वीकार की जाएगी। निविदाकर्ता अपनी बोली, बिड वृद्धि राशि केवल उपरोक्त तालिका में संबन्धित संपत्ति के सामने उद्धत “बिड बोली वृद्धि राशि” के गुणन में वृद्धि कर सकता है। अगर कोई निविदा अंतिम 10 मिनट में प्राप्त होती है, तो उसे 10 मिनट का असीमित विस्तार दिया जाएगा। 10 मिनट का समय सफल ऊंची बोली लगाने के लिए दिया जाएगा, अगर निविदाकर्ताओं द्वारा कोई ऊंची बोली नहीं लगाई जाती है, तो 10 मिनट की समाप्ति पर सबसे ऊंची बोली पर ई-नीलामी बंद की जाएगी।
9. प्राधिकृत अधिकारी को अपनी सम्पूर्ण जानकारी और ज्ञान के आधार पर सम्पत्ति पर किसी भी भार की जानकारी नहीं है। तथापि, इच्छुक निविदाकर्ताओं को अपनी निविदाएं प्रस्तुत करने से पूर्व सम्पत्ति पर भार, सम्पत्ति पर हकों, दावों /अधिकारों/ देयताएं जो सम्पत्ति को प्रभावित करती हैं, की जांच अपने स्वतंत्र सूत्रों से करनी चाहिए। ई-नीलामी का विज्ञापन, बैंक का कोई भी प्रतिनिधित्व या प्रतिबद्धता निर्मित नहीं करता है और न ही निर्मित कराता प्रतीत होगा। सम्पत्ति की बिक्री उसके वर्तमान व भविष्य के सभी भार, जिनकी जानकारी बैंक को है या नहीं है, के साथ की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तरह के तृतीय पक्ष के दावों/अधिकारों/देयताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
10. यह निविदाकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि बोली लगाने के पूर्व सम्पत्ति के निरीक्षण से संतुष्ट हों। नीलामी हेतु संपत्ति के निरीक्षण की अनुमति इच्छुक निविदाकर्ताओं को मौके पर प्रत्येक संपत्ति के विवरण के साथ दी जाएगी।
11. आन-लाइन बोली के अंतर के लिए निविदाकर्ता अपनी बोली की राशि हेतु विक्रय नोटिस में उल्लिखित ‘बिड वृद्धि राशि के गुणांक में सुधार कर सकता है। अगर बोली, ई-नीलामी के बंद होने के अंतिम 10 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो ई- नीलामी के बन्द होने का समय स्वयं ही 10 मिनट बढ़ जाएगा. (प्रत्येक समय ई नीलामी प्रक्रिया के बंद होने तक), अन्यथा, यह स्वतः ही बंद हो जाएगी। **निविदाकर्ता, जो सबसे ऊंची निविदा (आरक्षित मूल्य से नीचे न हो) प्रस्तुत करता है, तो ऐसे निविदाकर्ता, ई-नीलामी प्रक्रिया के बंद होते समय प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार वांछित सत्यापन के पश्चात सफल निविदाकर्ता घोषित किया जाता है।**
12. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उच्चतम बोली को स्वीकार करने के बाद, सफल निविदाकर्ता को विक्रय मूल्य का 25%, पूर्व में जमा ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि) को समायोजित करने के पश्चात उसी दिन या अगले कार्य दिवस में जमा करना होगा। शेष विक्रय मूल्य का 75%, नीलामी तिथि के दिन से 15वें दिन तक या पहले या प्राधिकृत अधिकारी के पूर्णरूप से विवेकाधिकार के अंतर्गत लिखित रूप सहमति के आधार पर बड़े हुए समय में नेफ्ट/आरटीजीएस से बैंक के निम्नलिखित खाते में जमा कराना होगा:

खाता संख्या	खाता का नाम	आईएफएससी कोड / शाखा नाम
3541639109	AUTHORISED OFFICER R O JABALPUR	CBIN0280743 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा नेपियर टाउन, जबलपुर

सफल निविदाकर्ता द्वारा यथोक्त निर्धारित समयावधि में विक्रय मूल्य जमा कराने में असफल रहने पर, उनके द्वारा निविदा के सापेक्ष पहले से जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जाएगी और सम्पत्ति/यों को पुनः नीलामी की जाएगी। इस तरह चूकने वाले निविदाकर्ता का सम्पत्ति पर कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।

13. वैधानिक/वैधानिक से अतिरिक्त देनदारियाँ, कर, दर, निर्धारण शुल्क, फीस, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, अंतरण प्रभार आदि क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा।
14. प्राधिकृत अधिकारी, उच्चतम प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी को पूर्ण अधिकार है कि वह एक या सभी प्रस्तावों को स्वीकार/अस्वीकार/स्थगित/रद्द या ई-नीलामी प्रक्रिया को बिना कारण बताए समाप्त कर दे।
15. सभी विक्रय प्राप्तिओं के प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकृत अधिकारी नियमानुसार विक्रय प्रमाणपत्र जारी करता है। खरीदार को स्टाम्प ड्युटी का भुगतान करना होता है जिसमें विक्रय प्रमाणपत्र, पंजीकरण प्रभार, सरकार/किसी प्राधिकारी को देय सभी वैधानिक देय रशियां, कर, जीएसटी और सम्पत्ति के वर्तमान और आने वाले किराए का भुगतान शामिल है। बोली/ निविदा में शामिल नामों के अतिरिक्त किसी का नाम जोड़ने/घटाने की अनुमति का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल सफल निविदाकर्ता के नाम विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
16. प्राधिकृत अधिकारी/बैंक को किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने अथवा बोली को स्थगित/रोकने/विक्रय को रद्द करने और बिना किसी पूर्व नोटिस और विक्रय के नियम एवं शर्तों में सुधार करने का पूरा अधिकार है। अगर पूर्व की बोली असफल हो जाती है तो बिना कारण बताए अगले सबसे ऊंचे निविदा कर्ता को निष्पादन के लिए बुलाने का अधिकार है।
17. सम्पत्ति की बिक्री 'जहां है जैसी है, जो है जैसी है' के आधार पर की जा रही है। निविदायें प्रस्तुत करने से पहले, इच्छुक निविदाकर्ता अपनी शंकाओं का समाधान स्वतन्त्र जांच और सम्बंधित रजिस्टर/एसआरओ/आय रिकार्ड/भार के सम्बंध में सत्यापन कर सकते हैं। दूसरे वैधानिक प्राधिकारियों और सम्पत्ति पर दावों/अधिकारों/भार/गृहणाधिकार/देयताएं आदि के लिए कोई भी प्राधिकारी जैसे विक्रय कर, उत्पाद शुल्क/ जीएसटी/ आयकर बैंक के प्रभार के अतिरिक्त स्वामित्व प्रकृति, विवरण, मात्रा, गुणवत्ता, दशा, भार, गृहणाधिकार, प्रभार, वैधानिक देयताएं आदि का सत्यापन निविदा प्रस्तुत करने के पहले कर लेना चाहिए। ई-नीलामी, विज्ञापन नहीं बनाती है और कोई बचनबद्धता निर्मित नहीं करती है और न तो बैंक का प्रतिनिधित्व करती है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तृतीय पक्षकार के उपर्युक्त वर्णित दावे/अधिकारों/वैधानिक देयताओं के लिए उत्तरदायी नहीं है, (अगर कोई है)। आन लाइन नीलामी की प्रस्तुति के पश्चात विक्रय के लिए रखी गई सम्पत्ति की प्रकृति, विक्रय प्रभार, भार और अन्य मामलों के दावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
18. बैंक उल्लिखित सम्पत्ति के विक्रय के लिए उनकी अनुमति प्रक्रिया दिलाने, अनुज्ञापत्र, एनओसी आदि की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है अथवा सम्पत्ति के विक्रय पर देयताओं जैसे पानी, सेवाप्रभार, अंतरण शुल्क, विद्युत बकाया, नगरपालिका/ स्थानीय अधिकारियों/सहकारी आवास सोसाइटी की बकाया देयताएं अथवा अन्य देयताएं, टैक्स, लेवी, शुल्क आदि, यदि सम्पत्ति के विक्रय पर देय हों, तो बैंक कोई जवाबदेही नहीं लेता है। सफल निविदाकर्ता को सम्पत्ति की खरीद पर आयकर के प्रावधानों के अंतर्गत लागू दर से कर का भुगतान प्राधिकारियों को करना है।
19. निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने और अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले ई-नीलामी हेतु उपलब्ध एमाएसटीसी के वेब पोर्टल <http://www.mstcecommerce.com>, www.ibapi.in और www.Centralbankofindia.co.in पर जाएं और ई-नीलामी की विस्तृत शर्तों एवं दशाओं का अध्ययन करें।
20. निविदाकर्ताओं के स्वयं के हित में अंतिम क्षणों में बोली लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि कि न सेंट्रल बैंक आफ इंडिया और न सेवा प्रदाता, ई-नीलामी प्रक्रिया में किसी भी चूक/असफलता/इंटरनेट अवरुद्धता/ विद्युत व्यवधान आदि की जवाबदेही नहीं लेगा। इस तरह की आकस्मिक स्थिति से दूर रखने के लिए निविदाकर्ताओं से निवेदन है कि वे आवश्यक व्यवस्थाएं/ वैकल्पिक उपाय जैसे पावर सप्लाइ, बैंक अप की व्यवस्था करें, ताकि ऐसी विपरीत परिस्थितियों पर गतिरोध को दूर रखा जा सके और नीलामी में सफलता पूर्वक भाग ले सकें।
21. बिक्री, बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है।
22. सम्पत्तियों का निरीक्षण: 03 मार्च 2021 को समय दोपहर 12.00 बजे से साँय 4.00 बजे के बीच किया जा सकता है। इच्छुक निविदाकर्ता अपने खर्चों पर उल्लिखित समय एवं तिथि पर सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। शीर्षक दस्तावेजों और दूसरे दस्तावेजों का निरीक्षण बैंक के पास उपलब्ध है। सम्पत्ति के निरीक्षण/ जानकारी हेतु: संबन्धित शाखाओं - गोकलपुर मो. 8226012828, एमपीएचबी मो. 8226012856 से बैंकिंग कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। उपरोक्त संबंध में अन्य किसी जानकारी के लिए श्री अनिल कुमार नायक मो.नं.+91-8226014333 एवं श्री अजीत वर्मा मो. नं. +91-8303713701- क्षेत्रीय कार्यालय- द्वितीय तल, साउथ एवेन्यू मॉल के सामने, पोलिपाथर, ग्वारीघाट रोड, जबलपुर, ईमेल- recvjabaro@centralbank.co.in से सभी कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है।